भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1387
10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दिल के दौरे के मामले

1387. श्रीमती मंजुलता मंडल:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2015 से अब तक दिल का दौरा पड़ने से मरने वाले लोगों की आयु और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में समय से पहले दिल का दौरा पड़ने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने दिल के दौरे के कारणों और उपचार के संबंध में कोई अध्ययन या अनुसंधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल के दौरे के आधे मामलों का पता नहीं चलता और उनमें कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते हैं जिसके परिणामस्वरूप मौतों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बिना लक्षण के दिल के दौरों के मामलों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल का दौरा पड़ने वाले रोगियों के लिए परिवहन की कमी के कारण अस्पताल पहुंचने में विलंब होना, मौत का एक प्रमुख कारण है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): आईसीएमआर की एक अध्ययन रिपोर्ट “इंडिया: हैल्थ ऑफ द नेशन्स स्टेट्स” के अनुसार, भारत में हुई कुल मृत्यु में हृदयवाहिका संबंधी रोगों के चलते हुई कुल मृत्यु वर्ष 1990 में 15.2% की तुलना में वर्ष 2016 में 28.1% थी। विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2017/India_Health_of_the_Nation%27s_States_Report_2017.pdf

गैर-संचारी रोगों के साथ कई जोखिम पूर्ण घटक जैसे तंबाकू का सेवन, एल्कोहल का सेवन, अपर्याप्त शारीरिक कार्यकलाप और अस्वास्थ्य कर खान-पान जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय एनसीडी निगरानी सर्वेक्षण (2017-18) के अनुसार, 18-69 वर्ष के आयु वर्ग में एनसीडी से जुड़े जोखिम घटकों की व्याप्तता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जोखिमपूर्ण घटक	व्याप्तता
वर्तमान में दैनिक तंबाकू सेवन	32.8%
वर्तमान में अल्कोहल सेवन	15.9%
अपर्याप्त शारीरिक कार्यकलाप	41.3%
फल एवं/अथवा सब्जियों का अपर्याप्त सेवन	98.4 %

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय हृदयवाहिका संबंधी रोग, मधुमेह, हृदय रोग और आघातों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित और संसाधन सीमा के अध्ययधीन होती है। हृदयघात सहित हृदयवाहिका संबंधी रोग एनपीसीडीसीएस का अभिन्न अंग है। यह कार्यक्रम गैर संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन एवं जागरूकता सृजन, शीघ्र निदान, प्रबंधन तथा इनके इलाज के लिए उपयुक्त स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र में रेफरल पर ध्यान केन्द्रित करता है। एनपीसीडीसीएस के तहत, 707 जिला एनसीडी क्लीनिक, 193 जिला हृदय रोग परिचर्या इकाई और 5541 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

एनएचएम के तहत और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के भाग के रूप में भी सामान्य गैर-संचारी रोग (एनसीडी) अर्थात् मधुमेह, रक्तचाप और सामान्य कैंसरों की रोकथाम, नियंत्रण एवं जांच के लिए देश में जनसंख्या आधारित एक पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य एनसीडी के लिए जांच लक्षित की गई है। इन सामान्य एनसीडी की जांच आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के तहत सेवा प्रदानगी का अभिन्न अंग है।

हृदयवाहिका संबंधी रोगों के निवारक पहलुओं को सामुदायिक स्तर पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र योजना के माध्यम से आरोग्य क्रियाकलापों और लक्षित संप्रेषण को बढ़ावा देकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सुदृढ़ किया जाता है। हृदयवाहिका संबंधी रोग के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ खानपान को भी बढ़ावा दिया जाता है। युवा कार्य और खेलकूद मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमैंट का भी क्रियान्वयन किया है तथा आयुष

मंत्रालय द्वारा विभिन्न योग से संबंधित क्रियाकलापों को चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनपीसीडीसीएस, एनएचएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (पीआईपी) के अनुसार हृदयवाहिका संबंधी रोग के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

हृदयवाहिका संबंधी रोगों से पीड़ित रोगी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं, जिनमें जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय सरकारी अस्पताल और निजी क्षेत्र के अस्पताल शामिल हैं, में उपचार करवा रहें हैं। गरीब और जरूरतमंदों के लिए सरकारी अस्पतालों में उपचार नि:शुल्क अथवा अत्यधिक सब्सिडी पर किया जाता है। रोगियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में लाने-ले जाने के लिए एनएचएम के तहत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत नए एम्स तथा अनेक उन्नत संस्थाओं में हृदयवाहिका रोगों के विभिन्न पहलुओं पर भी फोकस किया जाता है। हृदयवाहिका संबंधी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत भी उपलब्ध है।

****